UPSH010009052026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–450/2026

शिवम सिंह चौहान आयु करीब 28 वर्ष पुत्र राघवेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम–बसखेड़ा बुजुर्ग, थाना–पुवायॉ, जिला–शाहजहॉपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन।
मुकदमा अपराध संख्या–364/2025,
धारा–298, 352 भारतीय न्याय संहिता एवं
धारा–3(1)(t) व 3(1)(S) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–निगोही, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांक–11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **शिवम सिंह चौहान** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है तथा अभियुक्त को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528 भा0ना0सु0 संहिता संख्या–6400/2025, श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, निर्णीत दिनांकित 12.08.2025 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप, उसके जमानत सम्बन्धी अधिकारों से अवगत कराया गया। अभियुक्त ने आग्रह किया कि उसके नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर, निस्तारण किया जावे।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है तथा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2026 को अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया जा चुका है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न ही पूर्व में खारिज हुआ है।

न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस पर वादी मय अधिवक्ता पूर्व में उपस्थित आये, परन्तु आज जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय वादी की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामचन्द्र द्वारा सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसके गॉव में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा करीब 30 वर्षों से स्थापित है। दिनांक 18.07.2025 को शाम के करीब 08:00 बजे गॉव के राहुल पुत्र प्रतिपाल का साला शिवम सिंह चौहान पुत्र राघवेन्द्र, निवासी ग्राम–बसखेड़ा बुजुर्ग, थाना–पुवायॉ, जिला–शाहजहॉपुर मेहमानी में आया था, जिसने बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का हाथ तोड़ दिया। गॉव के लोगों ने विरोध किया तो शिवम चौहान ने सभी लोगों को जातिसूचक गालियॉ दीं।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उस पर प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है, निष्पक्ष साक्ष्य का पूर्णतया अभाव है। एफ0आई0आर0 व उपलब्ध साक्ष्य में परस्पर विरोधाभाष है। कथित अपराध सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ़्ता है। उसके पलायन करने, गवाहान तोड़ने व डराने–धमकाने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.03.11 16:58:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का हाथ तोड़कर, उनका अनादर किया गया तथा गॉव वालों के विरोध करने पर, उनको जातिसूचक गालियॉ देकर साशय अपमानित किया गया। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का हाथ तोड़कर, उनका अनादर करने तथा गॉव वालों के विरोध करने पर, उनको जातिसूचक गालियॉ देकर साशय अपमानित करने का आक्षेप है। मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का युक्तियुक्त आधार पाता है। तद्नुसार प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त **शिवम सिंह चौहान** द्वारा **मु0 25,000/–रूपये** का **व्यक्तिगत बंधपत्र** व इसी धनराशि का **एक प्रतिभू** दाखिल किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थी/अभियुक्त यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति की दशा में वे कोई स्थगन नहीं देगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अपराध, जैसा करने का उस पर अभियोग या संदेह है, जैसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा व न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है।

दिनांकः 11.03.2026

(अभय प्रताप सिंह–I)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6315